वित्त निर्देश 37/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 267/102/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलंब को दूर करने बाबत्।

संदर्भः-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 196/137/वि/नि/चार/2004, दिनांक 06 मार्च, 2004 ।
2. क्र. 278/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19.09.2007
3. क्र. 91/313/ वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 23.04.2008
4. क्र. 84/157/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 08.04.2009

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनके छत्तीसगढ़ प्रवास के समय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के समय उनके सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को अत्यन्त विलंब से प्रेषित किये जाते हैं एवं अपेक्षा की गई है कि इन प्रकरणों को नियमानुसार सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए, जिससे शासकीय सेवका को सेवानिवृत्ति के समय ही सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

2. यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 10 (1) में अभिदाता के सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करने तथा अंतिम भुगतान का प्रकरण महालेखाकार को प्रेषित करने के निर्देश है। इस विषय में राज्य शासन ने समय-समय पर संदर्भित ज्ञापनों द्वारा मार्गदर्शी निर्देश भी जारी किये है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विभागों द्वारा इन निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है।

3. महालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत तीन वर्षो में महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त अंतिम भुगतान के 13,080 प्रकरणों में से 6,004 प्रकरण सेवानिवृत्ति के पश्चात् चार महिने या इससे भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रेषित किये गये,

जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को समय पर अंतिम भुगतान की राशि प्राप्त नहीं हो सकी तथा राज्य शासन को 2.09 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना पड़ा।

4. महालेखाकार द्वारा राज्य शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंतिम भुगतान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अभिदाता को स्वत्व की राशि का भुगतान तत्परता से नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकार पत्र की 6 माह की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के कारण उनके नवीनीकरण के अनेकों प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में तो नवीनीकरण की वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप द्वितीय पुनर्वैधीकरण के प्रस्ताव भी प्राप्त होते हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

5. राज्य शासन को यह भी अवगत कराया गया है कि महालेखाकर द्वारा 30.04.2011 की स्थिति में लंबित सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के 3,365 प्रकरणों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पंजीकृत सूचनाएं प्रेषित की गई है। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभिदाताओं से उक्त राशि की वसूली कर शासकीय लेखे में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यालय प्रमुखों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और राज्य शासन को अतिरिक्त ब्याज का भार भी वहन करना होता है। अत: सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है वे अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यालयीन निरीक्षणों में भी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा प्रकरण में विलंब या त्रुटि हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

7. महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर मेरे द्वारा शीघ्र ही सामान्य भविष्य निधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति के संबंध में विभागवार समीक्षा की जावेगी। सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शी बिन्दु इस ज्ञापन के परिशिष्ट में दी गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(पी.जॉय. उम्मेन)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्रमांक 268/102/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट

<u>सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शी बिन्दु</u>

<u>मार्गदर्शी बिन्दु</u>

1) शासकीय सेवकों का अंतिम भुगतान आवेदन पत्र अनुसूची पांच (नियम 29 के नीचे दी कई टिप्पणी 3 में देखिये) में प्रस्तुत करना चाहिए तथा दिवंगत शासकीय सेवकों का आवेदन पत्र प्रपत्र 'सी' में प्रस्तुत करना चाहिए।

2) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 10 (1) के अनुसार अभिदाता के सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद कर दिया जाना चाहिए।

3) सामान्य भविष्य निधि के नियम 29, 30 एवं 31 के अंतर्गत अंतिम भुगतान बाबत् आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व है कि छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संशोधित आवेदन पत्र में भुगतान प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजे। यह उल्लेखनीय है कि अब अभिदाता/दावेदार द्वारा अंतिम भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता अथवा अनिवार्यता समाप्त कर दीा गई है।

4) समस्त कार्यालय प्रमुख आगामी 12 माह की अवधि में जो कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी सूची प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को बायो-डाटा-इन्कमर्बेसी के साथ महालेखाकार कार्यालय को भेजेगा। सूची में प्रत्येक अंशदाता का सही लेखा कमांक तथा सेवानिवृत्ति तिथि अंकित होना चाहिए। (ज्ञापन कमांक 840/913/वि/नि/चार/03 दिनांक 05.11.2003)

5) आवेदन पत्र के समस्त कालम पूर्ण रूप से भरे जाना चाहिए तथा अंशदाता के हस्ताक्षर सहित पत्राचार हेतु पूर्ण पता होना चाहिए। जहां अभिदाता स्वयं आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, वहां प्रकरण नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।

6) अंशदाता की सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि से पूर्व के 12 माह में उसके पक्ष में जमा अंशदान का कोषालय व्हाऊचर कमांक सहित पूर्ण ब्यौरा संलग्न होना चाहिए।

7) जिन अभिदाताओं का विभागीय भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान जमा हुआ है, तथा बाद में वे सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बने हैं, उनके प्रकरणों में विभागीय भविष्य निधि की अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए, तथा जी.पी.एफ. खाता कमांक तथा उक्त

खाते में जमा ब्याज सहित संपूर्ण राशि सत्यापित करते हुए जी.पी.एफ. खाता बंद करने का प्रमाण पत्र अंकित करना चाहिए।

8) (अ) सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान आवेदन पत्र के साथ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक बी-9/1/82/नि-2/चार दिनांक 20.01.80 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 5. 6.1972 से सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र की तिथि तक अंशदाता के पक्ष में भुगतान किये गये समस्त आंशिक अंतिम आहरणों की सत्यापित सूची संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(ब) अंतिम आंशिक आहरण की सूची में कोषालय व्हाऊचर क्रमांक, भुगतान की तिथि तथा राशि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, उक्त सूची में किसी प्रकार की कांट-छांट या उपरिलेखन मान्य नहीं है।

(स) जिन प्रकरणों में अभिदाता स्वयं आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, उन प्रकरणों में सूची पर नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए।

9) दिवंगत शासकीय सेवकों के अंतिम आहरण के आवेदन पत्र प्रारूप 'सी' में सभी कालम पूर्ण करते हुए प्रेषित की जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा जीवित अवस्था में अभिदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति के पक्ष में सामान्य भविष्य निधि नामांकन पत्रक की मूल प्रति संलग्न होना चाहिए। जिन प्रकरणों में नामांकन पत्रक की मूल प्रति अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध नहीं है, उन प्रकरणों में नामांकन न होने संबंधी प्रमाण पत्र अंकित की जाना चाहिए, ताकि प्रकरण का निराकरण सामान्य भविष्य निधि नियम 31(1)(बी) के तहत किया जाना संभव हो सके। यदि स्वर्गीय अभिदाता का परिवार नहीं है, तो दावेदार के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर संलग्न करें।

10) अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान प्रकरण कार्यालय महालेखाकार को प्रेषण करने के पश्चात् अभिदाता को कोई भी अग्रिम/पार्ट फाईनल प्रत्याहरण स्वीकृत न करें, फिर भी यदि करना आवश्यक प्रतीत होता है तो महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।

11) (अ) प्रत्येक अंतिम भुगतान प्रकरण के साथ अभिदाता के सम्पूर्ण सेवाकाल की सत्यापित पासबुक संलग्न होना चाहिए।

(ब) पासबुक में निर्धारित समस्त कालम पूर्ण होना चाहिए तथा पासबुक में अंकित जमा तथा आहरणों का विवरण संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अभिदाता की पासबुक अद्यतन करने के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व

पासबुक में छूटी हुई प्रविष्टियों की जानकारी संबंधित कार्यालयों से मंगाई जावें, जिससे कि पासबुक अद्यतन (**Up-to-date)** की जा सके।

(स) समस्त अस्थाई अग्रिम एवं आंशिक अंतिम आहरणों की स्वीकृति तिथि, उनके आहरण का माह तथा कोषालय व्हाऊचर क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।

(द) आंशिक अंतिम विकर्षण या अस्थाई अग्रिम के आहरण के पूर्व उसके आहरण की तिथि पर पासबुक में शेष से घटाया जाकर दर्शाया जाना चाहिए ताकि पासबुक की शुद्धता बनी रहे।

12) अंतिम भुगतान प्रकरणों में कार्यालय महालेखाकार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र का भुगतान यथासंभव शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें तथा संवितरण प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को भेंजे।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग